VTS console operator - I
VTS console operator - II

VD

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2013/पौष 5, 1935
No. 619] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2013/PAUSHA 5, 1935

पोत परिवहन मंत्रालय
दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय
अधिसूचना
नौएडा, 5 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि. 796(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में जलयान यातायात सेवा कनसोल ऑपरेटर श्रेणी–I और जलयान यातायात सेवा कनसोल ऑपरेटर श्रेणी–II के समूह 'ख' परिचालन पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, जलयान यातायात सेवा कनसोल ऑपरेटर, समूह **'ख'**, (अननुसचिवीय) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन–बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन–बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वें होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.**–उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**–वह व्यक्ति, –(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है :

उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीयविधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**– जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. जलयान यातायात सेवा कनसोल ऑपरेटर श्रेणी – I	03*(2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड–9300–34800 रु. ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :– वेतन बैंड–2, 9300–34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसे जलयान यातायात सेवा कनसोल ऑपरेटर श्रेणी–II जिन्होंने पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1.**–जलयान यातायात सेवा कनसोल ऑपरेटर श्रेणी–II को जलयान यातायात सेवा कनसोल ऑपरेटर श्रेणी –I के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होने के लिए इंटरनेशनल एशोसिएशन ऑफ मेरीन एड्स टू नेवीगेशन एंड लाइटहाउस आर्थोरिटी (आईएएलए) V 103/1 दो सप्ताह के प्रशिक्षण में हिस्सा लेंगे और सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करेंगे। **टिप्पण 2.**–जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं और स्वायत निकाय के अधीन ऐसे	समूह 'ख', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : – 1. महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय –अध्यक्ष 2. वी टी एस प्रबंधक, दीपस्तंभ और दीपपोत –सदस्य 3. बाहरी समूह 'क', अधिकारी, अवर सचिव के स्तर से कम न हो (प्राथमिकता मास्टर मेरिनर को) – सदस्य	**किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।**

अधिकारी— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड–2, 9300–34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4200 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है : और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं : (i) इलैक्ट्रानिकी या इलैक्ट्रोनिकी और संचार या दूर संचार में डिप्लोमा और वी टी एस उपकरणों पर 05 वर्ष के कार्य का अनुभव; या (ii) नौवहन महानिदेशालय के तटीय समुद्री (एन सी वी) नौचालन निगरानी अधिकारी प्रमाण पत्र का धारक और पाँच वर्षों का समुद्री अनुभव, या (iii) भारतीय नौ सेना द्वारा जारी रेडार प्लॉटर फर्स्ट क्लास कोर्स (आर पी–1) के प्रमाण पत्र का धारक और पांच वर्षों का समुद्री अनुभव। **वांछनीय** : आई ए एल ए V-103/1 और V-103/ का वी टी एस कनसोल ऑपरेटर पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण । **टिप्पण 1.**–पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.**–प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.**–प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु– सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.जलयान यातायात सेवा कनसोल ऑपरेटर श्रेणी –II	13* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड–2, 9300–34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता।	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1**: केन्द्रीय सरकार द्वारा समय– समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैंतालिस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पणी 2** : भूतपूर्व सैनिक के मामले में ऊपरी आयु सीमा में सैनिक सेवा की अवधि को देखते हुए तीन वर्षो तक बढ़ायी जा सकती है, बशर्ते (i) शपथग्रहण के पश्चात भूतपूर्व सैनिक के रूप में सशस्त्र सेना में प्रदान की गई सेवा छः माह से कम न हो और (ii) वास्तविक आयु से सेवा अवधि की कटौती के पश्चात परिणामी आयु, निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो । **टिप्पण 3** : आयु–सीमा अवधारित	**आवश्यक** :– (i) इलैक्ट्रानिकी या इलैक्ट्रोनिकी और संचार या दूर संचार में डिप्लोमा और वी टी एस उपकरणों पर 03 वर्ष के कार्य का अनुभव ; या (ii) नौवहन महानिदेशालय के नौचालन निगरानी अधिकारी (एन सी वी) के प्रमाणपत्र का धारक, या (iii) भारतीय नौ सेना द्वारा जारी रेडार प्लॉटर फर्स्ट क्लास कोर्स (आर पी –1) के प्रमाणपत्र का धारक। **वांछनीय** : आई ए एल ए V-103/1 और V-103/ का वी टी एस कनसोल ऑपरेटर पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या जलयान यातायात सेवा (वी टी एस) उपकरणों के प्रचालन, रखरखाव और कार्यात्मक अनुवीक्षण का एक वर्ष का अनुभव । **टिप्पणी** : चयनित पदस्थ को दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय की लागत पर 06 माह (कोलकाता प्रशिक्षण केन्द्र में 02,

					करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू– कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	दीपस्तंभ सेवी पोत पर एक माह और वी टी एस, मास्टर कंट्रोल सेंटर, कांडला में 03 माह) का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर निदेशालय के साथ 03 वर्ष का करार करना होगा अन्यथा प्रशिक्षण के व्यय का वहन उम्मीदवार के द्वारा किया जाएगा।प्रशिक्षण के दौरान पदस्थ को वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के समतुल्य छात्रवृत्ति के रूप में वेतन का भुगतान किया जाएगा। नियमानुसार प्रशिक्षण अवधि की गणना पेंशन के लिए योग्य सेवा और वार्षिक वेतनवृद्धि के भुगतान के लिए किया जाएगा। **टिप्पण 1.–** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्जित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2.–** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचार चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	(i) 70% सीधी भर्ती (ii) 30% प्रतिनियुक्ति (आइ एस टी एस) सशस्त्र सेना कार्मिकों की पुनः नियुक्ति।	<u>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</u> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अर्ध सरकारी संगठन, पब्लिक सैक्टर उपकम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड –1 में ग्रेड वेतन 2800 रु. में या समतुल्य में छः वर्ष सेवा की है और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता है। प्रतिनियुक्ति/पुनः नियुक्ति हेतु सशस्त्र सेना कार्मिक (पेट्टी अधिकारी की रेंक में) जो सेवानिवृत होने वाले है या जो एक वर्ष की अवधि में रिर्जव के लिए स्थानांतरित किए जाने वाले है और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता है। इस तरह के कार्मिकों को सशस्त्र सेना से सेवा निवृत होने की तिथि तक प्रतिनियुक्ति पर	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख', विभागीय प्रोन्नति समिति :– 1. ज्येष्ठतम उप महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत – अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम वी टी एस पर्यवेक्षक, दीपस्तंभ और दीपपोत – सदस्य 3. बाहरी समूह 'क', अधिकारी, अवर सचिव के स्तर से कम न हो (प्राथमिकता मास्टर मेरिनर को)	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और सशस्त्र सेना कार्मिक की पुनः नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

			तैनात किया जा सकता है, इसके पश्चात् वे पुनः नियुक्ति पर (सिविल पद में अधिवर्षिता आयु तक पुनः नियुक्त रहेंगे) जारी रहेंगे।	– सदस्य	

[फा. सं. 3/1/2010–प्रशा I]

कैप्टन ए. एम. सूरज, महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत

MINISTRY OF SHIPPING

DIRECTORATE GENERAL OF LIGHTHOUSES AND LIGHTSHIPS

NOTIFICATION

Noida, the 5th December, 2013

G.S.R. 796(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Group "B", Operational posts of Vessel Traffic Service Console Operator Grade-I and Vessel Traffic Service Console Operator Grade–II in the Directorate General of Lighthouses and Lightships, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, VTS Console operators, Group "B", (Non-Ministerial) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said posts their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**– No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification.	Pay band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.

5401 GI/13-2

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: VTS Console Operator Grade-II with five years regular service in the pay scale ` 9300-34800 plus grade pay of ` 4200. Note 1: VTS Consol Operator grade-II shall undergo a two weeks training of International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) V-103/1 and successfully pass the training to become eligible for promotion to the post of VTS Console Operator Grade-I. Note 2: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including short term contract): Officers under Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertaking or Universities or Recognized Research Institutions or Statutory and Autonomous organization:- (A) (i) holding analogous posts on regular basis; Or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in the PB-2 ` 9300-34800 with Grade pay of ` 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the following Educational Qualifications and experience: (i) Diploma in Electronics or Electronics & Communication or Telecommunication Engineering with 5 years working experience on VTS equipments; or (ii) Certificate of Navigation Watch Keeping Officer Near Coastal Voyage (NCV) of DG Shipping with five years of sea experience. or (iii) Certificate of Radar Plotter First Class course (RP1) issued by Indian Navy with five years of sea experience. (C) Desirable: Training on VTS Console Operator Course of IALA V-103/1 and V-103/3. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of Central	Group "B" Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Director General of Lighthouses and Lightships - Chairman; (2) VTS Manager, Lighthouses and Lightships - Member; (3) Outsider Group 'A' Officer not below the rank of Under Secretary (Preferably a master mariner) -Member.	Consultation with UPSC necessary for appointing an officer on Deputation (Including short term contract).

Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. VTS Console Operator Grade – II.	13* (2013) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non - Gazetted, non-Ministerial.	Pay band-2 ₹ 9300-34800 plus grade pay ₹4200.	Not applicable	Not exceeding 30 years. Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in case of general candidates and forty years in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 2: The upper age limit shall be relaxed by the length of military service increased by three years in the case of ex-servicemen provided. (i) The continuous service rendered in the Armed Forces by an ex-servicemen is not less than six months after attestation and (ii) The resultant age after deducting his period of service from his actual age does not exceed the prescribed age-limit by more than three years. Note 3: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti Division of Chamba District and Pangi Sub-Division of Chamba	Essential: Diploma in Electronics or Electronics & Communication or Telecommunication Engineering with 3 years experience in Radar or Communication equipments. or Certificate of Navigation Watch Keeping Officer (NCV) of DG Shipping. or Certificate of Radar Plotter First Class course (RP1) issued by Indian Navy. Desirable: (i) Trained on VTS Console Operator Course of IALA V-103/1 and V-103/3 or One year's experience in Operation, maintenance functional monitoring of Vessel Traffic System (VTS) equipments. Note: The incumbents selected will be provided 6 months training (2 months at Kolkata Training Centre, one month on Board Lighthouse tender Vessel and 3 months on the job training at VTS, Master Control Centre, Kandla) at the cost of the Directorate General of Lighthouses and Lightships. Selected candidates have to execute a bond to serve with the Directorate at least for a period of 3 years after successful completion of training or the expenditure involved in training shall be paid by them. During the period of training the incumbents will be paid stipend equivalent to pay in the pay band and grade pay. The period of training will count towards qualifying service for pension and for grant of increment as per rules. Note 1: Qualifications are

5401 GI/13-3

					District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or Competent Authority for reason to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is / are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reason to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if any, at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No.	Two years.	(i) 70% Direct recruitment. (ii) 30% Deputation (ISTC) Re-employment of Armed force personnel. .	Deputation (including short term contract):- Officers under the Central or State or Union Territory Government or Semi Government Organisations, Public Sector Undertakings, University Grant Commission. Recognised Research Institution. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band 1 with grade pay of `2800 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). For Deputation/re-employment-	Group "B" Departmental Promotion Committee for considering confirmation :- (1) Most senior Deputy Director General of Lighthouses and Lightships - Chairman; (2) Most senior VTS Supervisor Lighthouses and Lightships - Member; (3) Outsider Group 'A' Officer not below the rank of Under Secretary (Preferably a Master Mariner) - Member.	Consultation with UPSC is necessary for appointing an officer on Deputation including short term contract):- and re-employment of Armed force personnel.

			The Armed Forces Personnel (in the rank of Petty Officer) due to retire or who are to be transferred to reserve with in period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits in col. 7. Such persons would be given deputation term upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment. (Re-employment upto age of superannuation in Civil Posts).		

[File No. 3/1 / 2010-Admn-I]

Capt. A. M. SUREJ, Director General of Lighthouses and Lightships

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

VTS console operator - I

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2014/माघ 4, 1935
No. 37] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2014/MAGHA 4, 1935

पोत परिवहन मंत्रालय

(दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र

नोएडा, 22 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 54(अ).—भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय की दिनांक 5 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 796(अ) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई है, जिसके माध्यम से जलयान यातायात सेवा कनसोल ऑपरेटर श्रेणी-I, समूह 'ख', (अननुसचिवीय) के पद के भर्ती नियम को अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी पाठ में स्तंभ संख्या 01 से 10 तक की प्रविष्टियाँ छोड़ी हुई हैं जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाए :—

MINISTRY OF SHIPPING

(Directorate General of Lighthouses and Lightships)

CORRIGENDUM

Noida, the 22nd January, 2014

G.S.R. 54(E).—In the English version of the Government of India, Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, Notification No.796(E), dated 5th December, 2013, appeared in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i), dated December 26, 2013 notifying the Recruitment Rules for the post of VTS Console Operator Grade-I, Group 'B' (Non-Ministerial), the entries in Columns 1 to 10, which have been omitted from the above notification may be read as under :—

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. VTS Console Operator Grade–I.	03* (2013) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, non-Ministerial	Pay band-2 ₹ 9300-34800 plus Grade Pay ₹ 4600.	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable.	Not applicable	By promotion failing which by deputation including Short Term Contract (ISTC).

[F. No. 3/1 / 2010-Admn.-I]

Capt. A. M. SUREJ, Director General of Lighthouses and Lightships

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.